

15] अनुसूचित जातियों और जनजातों के 34-कांस्टीट्यूट
 यह संविधान संशोधन का विशेष उद्देश्य था कि
 इन जातों को शिक्षा, रोजगार, निवास आदि में समानता
 प्रदान की जा सके।
 51] संविधानिक, आपाधिक और जननीय जातों को
 संविधान द्वारा प्रदान किया गया।

संविधानिक रूप से पिछड़ी अनुसूचित
 जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) समूह को
अवसर की समानता प्रदान करने हेतु, संविधान


अनुच्छेद 15 एवं 16 में सरकारी नौकरी एवं
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है।

यह प्रावधान, अनुसूचित जाति
 अथवा अनुसूचित जनजाति को ही सब समान समूह
 मानता है। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा,
 अनुसूचित जाति एवं जनजाति में उपवर्गीकरण की
 अनुमति प्रदान करने हेतु यह यह टिप्पणी की
 गई है -

- ① अनुसूचित जाति और जनजाति सब समान
 समूह नहीं हैं।
- ② कुछ जातियां दूसरों से पिछड़ी हैं सभी
 हैं।
- ③ इन पिछड़ी जातियों के उद्धार हेतु लिए

राज्य अंगरेजी से आधार पर उप-कारिण
करेगा न कि राजनीति लाभ है।

④ राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि
जाति विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व
नहीं है।



सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय
'पिछड़े में पिछड़ा' को भी आरक्षण लाभ
पहुँचाने का इसका सामान वितरण
सुनिश्चित करता है।

लेकिन, अनुसूचित जाति
एवं जनजाति समाज पर इससे नकारात्मक
प्रभाव पड़े भी आया है, जो जतई जा
रही है। इसका प्रभाव मुख्यतः

संवेधानुसार. साधारण दण्ड राजनीति के क्षेत्रों पर पड़ेगा, जो निम्नलिखित हैं—

संवेधानुसार प्रभाव :- SC/ST उप-कायिदण्ड का निम्नलिखित संवेधानुसार प्रभाव है—

(i) संघीय दण्ड पर प्रभाव :- अनुच्छेद-341

अनुच्छेद 342 के अनुसार SC/ST की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है। निम्नलिखित केवल संसद के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

लेकिन उप-कायिदण्ड के राज्यों को यह शक्ति मिल जाएगी कि वे SC/ST सूची में बदलाव कर सकें।

(ii) 'समता के अधिपति' पर प्रभाव :-

कुछ चिंतनों का मानना है कि यह उप-कायिदण्ड 'समता के अधिपति' को प्रभावित करेगा।

इससे SC/ST को के भीतर 'समानता' का हनन हो सकता है।

सामाजिक प्रभाव :-

- SC/ST समुदाय पर 'समान' समुदाय नहीं रह जाएगा।
- इससे समुदाय के भीतर भी प्रतिक्रिया और संघर्ष बढ़ सकता है।
- आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों के SC/ST आसन्न से बाहर उठने पर डर भी उठ सकता है।

राजनीति प्रभाव :- SC/ST उप-वर्गीकरण से —

(i) SC/ST को छोटे-छोटे उप-समूहों में बंट जाएगा।

(ii) इससे यह वर्तमान की तरह एक-प्रभावशाली दबाव समूह की भांति कार्य नहीं कर पाएगा।

(iii) दलित राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ दलों में अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

साथ ही उप-समूह पर आधारित
सामाजिक स्थिति का उद्धार होगा।

उपरोक्त तथ्यों का
विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि-

(३) अनुसूचित जाति एवं जनजाति

उप-वर्गों का इस समूह में अलग
पिछड़े स्त्री, भौतिक विकास प्रदान होगा।

इस लैडिन, इसका विधान-धन समावेशी
और समापन्न होना चाहिए न कि
विशेषज्ञ और वंशित करने वाला।

(12) वरुण (आर्यभट्ट) ने कहा कि - सामान्य आकाश और सामान्य वायु में बिना आवृत्ति के अनिकर का व्यक्ति है। आकाश और वायु में बिना आवृत्ति के अनिकर का व्यक्ति है।


सापाण्डि एवं कौत्साण्डि रूप से पिच्छे
सद्वह से जिस, सुखरस्युड इतिवादि से माध्यम
से, अक्सर की समानता एवं विविधता
समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आश्रय
का प्रावधान दिया गया है।

जैसिन, आरक्षण का प्रभाव
आने से पहले और प्रभावी बनाने हेतु तथा
बल सङ्ग्रह से अन्धा विभिन्न कार्यों का पर्याप्त
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से विद्व जालिगार
जनगणना से आपस्यर बताया जाता है।

क्या बि -

- आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था 1931 ई. जनगणना पर आधारित है।
- आरक्षण जाति ई आधार पर दिया जाता है।
- आरक्षण सूचक (यथा OBC/SC/ST) ई अन्य विभिन्न जातियों का अपेक्षा परमिनिमित्त हो सकता है।

- आरक्षण के साक्ष्य-आधारित और समतापूर्ण विवरण हेतु यह आवश्यक है।
- 1931 के अब तक जनसंख्या गिनती में काफी परिवर्तन हो चुका है।
- उचित आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का उचित विवरण संभव हो पाएगा।



उपरोक्त विवरण से अस्पष्टता के
समतापूर्ण विवरण हेतु जातिगत जनगणना
अनिवार्य प्रतीत होता है क्योंकि इसके
उपरा ^{प्रमाणित} फलदे भी हैं। जो इस प्रकार हैं—

- (i) जाति रक्त मजबूत पहचान बनकर
उभर सकता है।
- (ii) इससे जातीय तनाव उत्पन्न होने का
खतरा है।
- (iii) जातिगत पहचान प्रमाणित प्रमाणी होने
से जाति आधारित राजनीति का
गौरव बल मिलेगा।
- (iv) इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक संरक्षित
जैसे विरल के तत्त्व प्राथमिकता से
काहर हो सकती हैं।
- (v) आर्थिक समृद्धि और विरल से जाति
मुक्त होने से अंततः हाथिभ पर
पड़ा चरित्र ही प्रमाणित होगा।

इस प्रकार, हम पाते हैं

कि जातिगत अस्पष्टता जनगणना दोषापी
तलवार की तरह है इसका बदलेमाल
आवश्यक है।

~~जातिगत~~ जनगणना से प्राप्त
आँकड़ों का उपयोग निम्न स्तर
की सिद्धि हेतु अथवा राजनीतिक लाभ
हेतु न करते नीति निर्माण में किया
जाए तो यह आरक्षण से और
समावेशी बनाएगा।

जातिगत जनगणना की नीतिगत भूमिका :-

नीति निर्माण में यह
निम्नलिखित रूप में सहायक हो सकती है-

(क) आरक्षण नीति में सुधार :-

जातिगत आँकड़ों का स्पष्ट करने में हि
डिल जाति से डिगने लोग शिक्षा,
समझौती नौकरी एवं अन्य क्षेत्रों में
पिछड़े हुए हैं। इससे आरक्षण से
साक्ष्य आधारित, समावेशी और व्यापक
बनाया जाएगा।

(ख) सामाजिक असमानता को दूर करने में सहायक-

जातिगत भेदभाव और असमानता दूर
और दूर करने का यह न्याय है
हेतु बेहतर तरीके से नीति निर्माण
किया जा सकता है।

(ग) समाज सुधार और विकास संग्रहों के
केन्द्र विमानचित्र :-

संस्थाओं का फाँसी बिंदु
और समाज सुधार के इन आँकड़ों
का केन्द्र उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्षतः, जातिगत जनगणना
और और इसके आँकड़ों का विवेकपूर्ण
उपयोग आरक्षण नीति को और
अधिक सफल कराने का एक न्याय
पूर्ण वैधानिक ही कदम है।

23) तदिलनाडु की 691 आरक्षण नीति को संविधान की 91वीं अनुसूची में तहत संरक्षित है।
राष्ट्रपति चुनावों का समाप्ति इस को है।
[आरक्षण समीक्षा] के संदर्भ में नौवीं अनुसूची की वैधता तथा भारत के आरक्षण नीतियों पर इसके प्रभावों की चर्चा करें।

सामान्यतः राज्य सुनिश्चित करने हेतु, तदिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहाँ सर्वोच्च आरक्षण (691) का प्रावधान है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 91वीं अनुसूची में शामिल विधियों को आरक्षण समीक्षा के अन्तर्गत लाने के बाद से इस पर राष्ट्रीय चुनावों की उत्पत्ति हुई है।

इस आरक्षण नीति के तदिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1993 में लाया गया था तथा इसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 91वीं अनुसूची में वर्ष 1994 में शामिल कर दिया गया था।

* 91वीं अनुसूची :-

(1) प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया तथा यह प्रावधान दिया गया कि इसमें

नामिल विषयों से न्यायिक प्रणाली नहीं है जो
सबरी। मर्यादा न्यायालय इन बातों से
संबंधितता से जॉन नहीं कर सकती है।

(ii) जैडिन, आई. आर. काउल्डो काद में
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि
9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी
न्यायिक प्रणाली से जुड़ी तरह मुक्त
नहीं हैं।

(iii) इसी तरह और कानून संविधान से
मूल अधिकारों का उत्पन्न होता है कि
उस न्यायालय में चुनौती दी जा
सकती है।

* आरक्षण नीति से सम्बंधित चुनौती :-

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9वीं
अनुसूची से न्यायिक प्रणाली से ~~संबंधित~~
परिधि में लाए जाने से कई आरक्षण
नीति से सम्बंधित चुनौतियाँ उत्पन्न
हो चुकी हैं यहाँ पर —

① इंदिरा प्रावनी काद (1992) में सर्वोच्च
न्यायालय ने आरक्षण से अधिकतम
सीमा 50% निर्धारित की थी।

(ii) इसी से वधाने के लिए 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को 99ी अनुसूची में डाला गया था।

(iii) आंशिकी के आधार पर दिया गया उचित आरक्षण भी निरुद्ध हो सकता है। जैसे मराठा आरक्षण विरुद्ध आरक्षण नीति इत्यादि।

(iv) तमिलनाडु आरक्षण नीति, जो कि 99ी अनुसूची में शामिल है, भी न्यायिक स्पीक्षा से ग्रास सकती है।

(v) आरक्षण नीति या सुधारों का संग्रह है। इससे 691 आरक्षण से स्वतंत्र हो सकता है। यह सामाजिक न्याय से ठीक पहुँचा सकता है।

* आरक्षण नीति पर प्रभाव :-

99ी अनुसूची से न्यायिक स्पीक्षा को हटाने में लाने से आरक्षण नीति या निम्नलिखित प्रभाव पर डालता है —

(क) १ की अनुसूची में शामिल करने से वायव्य आरक्षण नीति की समीक्षा से जा सकती है।

(ख) शीघ्र ही सर्व सामाजिक विकास के आधार पर आरक्षण की सीमा 50% हो देना होगा।

(ग) आरक्षण से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर न होकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर देना होगा, जैसा कि संविधान निर्माताओं का भी मत था।

(घ) सामाजिक न्याय के लिए सिर्फ आरक्षण से आधार न बनाकर, विशाल भोजनाओं में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली भोजनाओं से मुख्य आधार बनाना होगा।

विशेषतः, १ की अनुसूची में शामिल होने से वायव्य आरक्षण नीति की समीक्षा से जा सकती है। साथ ही सामाजिक न्याय से विश्व आरक्षण नीति से साथ-साथ अपात्रीशी विशाल नितांत आवश्यक है।

(84) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर विचार दिया जा रहा है। लेकिन इसके आर्थिक विपरीत और सैद्धांतिक प्रणाली से बहुत विवाद उत्पन्न हो रहा है। भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की आवश्यकता का भारतीय समाज प्रत्यक्ष नहीं

भारत में समाजवादी चार्जवाइ के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन हाल के दिनों में निजी क्षेत्र में भी इसे लागू करने की मांग उठ रही है।

इस मांग के पक्ष एवं विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन सबसे पहले जानना आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का आधार क्या है? -

सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का आधार :-

(i) अत्यन्त असमान समाज में समानता सुनिश्चित करना राज्य का उद्देश्य एवं सद्व्यवस्था का दायित्व।

(ii) समानता एवं इक्वलिटी में सामंजस्य स्थापित करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके।

(iii) समाज के अंगित व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना ताकि वह गारियापूर जीवन जी सके।

(iv) सामाजिक भाव फैलाना ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग स्वतः हुए अपना सर्वोत्तम विकास कर सके।

मिजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में तर्क


कुछ विद्वानों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक भाव स्थापित करना है अतः इसे मिजी क्षेत्र तक विस्तारित किया जाना पर्याप्त नहीं है —

(i) 1991 के उदारीकरण के बाद मिजी क्षेत्र का विस्तार हुआ है वही सरकारी क्षेत्र संकुचित हुआ है।

(ii) सीमित सरकारी क्षेत्रों की अकथारण विस्तार हुई है। इस कारण सरकारी क्षेत्र में संतुलन अब नहीं है।

(iii) सापेक्षिक समानता :- वैधित करने से संज्ञाएं हैं अच्छा मिलेंगी, जिससे अपेक्ष में आर्थिक और सामाजिक समानता बढ़ेगी।

(iv) संतुलित विकास :- अपेक्ष हैं हा करने से आगे बढ़ने का अच्छा मिलेगा जिससे सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा।



निजी क्षेत्र में आरक्षण के विपक्ष में नहीं

विज्ञानों से कुछ समूह का मानना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देना उचित नहीं होगा क्योंकि -

(क) आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव :-

निजी क्षेत्र परिसरों पर बाधादित होना है। प्रतिकूल है लिए आवश्यक है 'प्रगति'।

आरक्षण वि. नीति लागू करने के
लिए 'अनुशास' लोगों के भी राजस्व
देना या सस्ता है जिससे उत्पादन
प्रभावित होगी।

इसके लिए घाटे में चलने
वाली सरकारी कंपनियां जैसे BSNL
का उत्पादन घटा जाता है।

(4) इन ऑफ इंग बिजनेस में रुकी :

मिजी हों में आरक्षण से इन
ऑफ इंग बिजनेस में रुकी आरणी
अतः मिजी हों के घरेलु एवं
विदेशी निवेश आकर्षित करना
पुनर्गती होगी।

(5) पूँजी-पलायन से संरक्षण :

पूँजीपति को अपनी पूँजी का
निवेश केवल मुनाफा बढ़ाने के लिए
करते हैं। ऐसे में आरक्षण से
उपज आयदाओ, तथा प्रतिस्पर्धिता
में रुकी, उत्पादन में रुकी उत्पाद,
से बचने के लिए घरेलु पूँजी
का भी पलायन होने से संरक्षण
है।

(घ) निवेश में मैरिट की अवहेलना:-

इस प्रकार का आरक्षण 'मैरिट' की अवहेलना करेगा। दक्षता, कुशलता जैसी योग्यताओं को ही पूर्णरूप से देखा जा सकता है।

आर्थिक विकास पर
प्रतिकूल प्रभाव


इस ओर इंगित
किनेस में 5वीं

मिजी होग में आरक्षण
हैना उचित रही क्योंकि

मैरिट की अवहेलना

पूरी परामर्श की
संभावना

उपरोक्त तर्क - विरुद्ध पर विचार करने पर स्पष्ट पार्ते हैं कि मिजी होग में आरक्षण मक लूप से निर्माण करेगी जो अवश्यकाया घर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।



निष्कर्ष ~~मम~~, आरक्षण का मुख्य :
उद्देश्य है सामाजिक न्याय। अतः नली
प्राप्ति हेतु सरकार को वंचित
वर्गों से निरंतर शिक्षा एवं
सौजन्य विकास तथा रोजगार हे
नए अवसर वकालत पर ध्यान
देना चाहिए ताकि वे भी अपनी
शोषणता से आध्यात्मिक विजय दोगे
मैं अपनी शोषणता से आध्यात्मिक
पर प्रतिस्पर्धा कर सकूँ।

(1) ELOS आरक्षण से शुरुआत में जारी आधारित संचालक मंडल से भी अधिक से होता है। वेरु रुक नई बस है। ही है। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण से जारी आधारित आरक्षण का स्थान के लेना चाहिए या समावेशी विचार सुनिश्चित करने हेतु हाइब्रिड मॉडल से आवश्यकता है। यहाँ से।

103 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से उपजाऊ वर्ग से शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया।

लेकिन इस प्रावधान से रुक नई बस है। ही है। क्या सभी प्रकार के आरक्षण का आधार जारी है क्या आर्थिक आधार पर रुक देना चाहिए? अथवा दिली और मॉडल से आवश्यकता है?

उसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि आर्थिक रूप से उपजाऊ वर्ग (ELOS) तथा अन्य जारी आधारित आरक्षण से पीछे तब क्या है?

* आर्थिक आधार या आरक्षण के लिए तर्क :-

- सामान्य वर्ग में भी लोग आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं।

- अगर उन्हें भी आर्थिक आधार से

आवश्यकता है।

— सामान्य वर्ग की आरक्षण न देना
उन्हें 'आर्थिक कमजोर' हेतु सिद्ध
करने जाता है।

* जातिगत आधार पर आरक्षण हेतु नई:-

(i) यह सूचक (SC/ST/OBC) रैतिमेटिक
रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक
दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

(ii) कुछ जाति विशेष के लोगों की-
सामाजिक स्थिति उन्नीची नीचे है। अतः
उन्हें सामान्य प्रदान करने के लिए
आवश्यक आवश्यक है।

(iii) कुछ व्यक्तियों आधारित निम्न
जाति के लोगों द्वारा ही किया
जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों में
कुछ लोगों को समाज में हीनता
की दृष्टि से देखा जाता है।

(iv) समाज में जाति आधारित छद्मछद्म
प्राप्त है। यहाँ में कुछ जातियों
की 'अछूत' समझा जाता है।

संयोजक में इनके सहायित्व में अपने संपादकीय
है जो कि गत आरक्षण अतिरिक्त है।

उपरोक्त विवरण से संसा
धन ही है कि संपादक न्याय है
जातिगत आरक्षण आवश्यक है कही
आर्थिक न्याय है आर्थिक आधार पर।

अतः हमें इस दोनो
के संपादन से यह होना
मात्र विचारित करने की आवश्यकता
है क्योंकि -

(३) अगोश में पिछड़ा ही न्याय :-

आर्थिक आधार पर आरक्षण
सामान्य कर में पिछड़े लोगों से
मुख्य धारा में लाया।

(४) पिछड़ों में पिछड़ा ही न्याय :-

जाति आधारित आरक्षण आवश्यक
है साथ ही उनके आर्थिक आधार
आधारित करना भी आवश्यक है
जाति पिछड़ों में पिछड़ा ही समाज
की मुख्य धारा में लाया जा
सके।

क्योंकि पिछड़ा को (SC/ST/BC)
सब समाज को नहीं है। इसके भी
कुछ लोग समाज की प्रमुख धारा
में आ चुके हैं अतः उन्हें आर्थिक
आध्या पर सीमित दिया जा सकता
है।

(5) जातिगत आरक्षण सामाजिक न्याय हेतु आवश्यकः

जातिगत आरक्षण को पूर्ण रूप
से समाप्त करने से कल आर्थिक आध्या
पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

क्योंकि कुछ विद्वानों का
मानना है कि आरक्षण जातीय अनुत्पन्न

अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि बलिष्ठ मह
हाथियों पर स्थित व्यक्ति इसे

सामाजिक समाजता और जातिगत प्रभुत्व
इतने का माध्यम है।

अतः हमें आर्थिक सीमाओं
के साथ जातिगत आरक्षण की आवश्यकता
की आवश्यकता है ताकि संवेधानिक
उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।